

પત્રકમાંક: સશપ-૧૪૯૯-મ.૧૫-અ.
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
સચિવાલય, ગાંધીનગર,
તારીખ: ૨૧ મે, ૨૦૦૫

૨૯/૫/૦૫

પ્રતિ,

સર્વે જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી

(વિષય : ઉન્નત વર્ગ (Creamy layer) નું પ્રમાણપત્ર આપવા અંગેની
કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ.

શ્રીમાન,

ઉપરોક્ત વિષય સંબંધમાં જણાવવાનું કે સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોને ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ તથા સરકારી નોકરીઓ માટે કેન્દ્ર સરકારની નીતિને અનુરૂપ ઉન્નત વર્ગો અંગેનું જરૂરી પ્રમાણપત્ર આપવા સંદર્ભમાં આ વિભાગ તરફથી અવારનવાર સૂચનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલી છે. આમ છતાં આ બાબતમાં સક્ષમ સત્તાધિકારીઓ (મહેસુલી અધિકારીઓ) તથા અરજદારો તરફથી આવા પ્રમાણપત્રો આપવા / મેળવવા સંદર્ભમાં કેટલાંક મુદ્દાઓ ઉપસ્થિત કરવામાં આવતા હોય છે. આ સંદર્ભમાં ભારત સરકારે તેમના તારીખ: ૧૪-૧૦-૨૦૦૪ ના પત્ર No. 36033/5/2004/Estt-(Res) થી મુદ્દાવાર સ્પષ્ટતાઓ કરી છે. ભારત સરકારના આ હુકમો વિગતવાર અને સ્વયં-સ્પષ્ટ છે અને તેમાં ઉન્નત વર્ગોનું પ્રમાણપત્ર આપવા સંબંધી બધી સ્પષ્ટતાઓ કરવામાં આવેલી છે. આ સૂચનાઓ આપના ધ્યાન પર મુકવામાં આવે છે. યથાપ્રસંગે ઉન્નત વર્ગોનું પ્રમાણપત્ર આપતી વખતે અધિકૃત મહેસુલી અધિકારીઓ આ સૂચનાઓનો યોગ્ય રીતે અમલ કરી શકે તે માટે આ સૂચનાઓ આપના હસ્તકના સક્ષમ અધિકારીઓને પણ પરિપત્રિત કરવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ,
(પી.એમ.પટેલ)
નાયબ સચિવ,
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

આપનો વિશ્વાસુ,

(પી.એમ.પટેલ)

નાયબ સચિવ,

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ

નકલ રવાના :

નિયામકશ્રી,

વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ખાતુ,

બ્લોક નંબર:૪, ત્રીજે માળ,

50/21

(X)

ગામના પાલિકાના સચિવને

CSGOI - 2595
25-X-04

20/10/04
Secretary

No. 36033/5/2004-Estt(Res)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

New Delhi, Dated : the 14th October, 2004

To
The Chief Secretaries of all the States /Union Territories.

Subject: Clarifications regarding creamy layer amongst OBCs.

Sir,

I am directed to invite your attention to the Schedule to this Department's OM No.36012/22/93-(SCT) dated 8th September, 1993 which contains the criteria to determine the creamy layer amongst the OBCs. In regard to the children of the persons in civil services of the Central and the State Governments, it provides that

असु सलिन (son)
अ. व. रिमा
धर्म अ. प. 1385
9/10/04

- (a) parents, both of whom are directly recruited Class I/Group A officers;
- (b) parents, either of whom is a directly recruited Class I/Group A officer;
- (c) parents, both of whom are directly recruited Class I/Group A officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation;
- (d) parents, either of whom is a directly recruited Class I/Group A officer and such parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Orgainsation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years;
- (e) parents, both of whom are directly recruited Class I/Group A officers and both of them die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Orgainsation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years;
- (f) parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers;
- (g) parents of whom only the husband is a directly recruited Class II /Group B officer and he gets into Class I//Group A at the age of 40 or earlier;

42

27/10

PSC (P)
D.S.

9337/24
8/11/04

- (h) parents, both of whom are directly recruited Class II/ Group B officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years;
- (i) parents of whom the husband is a Class I/ Group A officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the wife is a directly recruited Class II /Group B officer and the wife dies; or suffers permanent incapacitation; and
- (j) parents, of whom wife is a Class I/Group A officer (Direct Recruit or pre-forty promoted) and the husband is a directly recruited Class II/Group B officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation

shall be treated as falling in creamy layer.

2. The Schedule further provides that sons and daughters of:

- (i) parents either of whom or both of whom are directly recruited Class I/Group A officer(s) and such parent(s) dies/die or suffers/suffer permanent incapacitation;
- (ii) parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation;
- (iii) parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and both of them die or suffer permanent incapacitation, even though either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation

shall not be treated to be falling in creamy layer.

3. The criteria prescribed for determining creamy layer status of sons and daughters of persons in Government service mutatis mutandis applies to the sons and daughters of persons holding equivalent or comparable posts in PSUs, Banks, Insurance Organisations, Universities etc. and also holding equivalent or comparable posts and positions under private employment. The creamy layer status of the sons and daughters of employees of organizations where evaluation of the posts on equivalent or comparable basis has not been made is determined on the basis of 'Income/Wealth Test' given in the Schedule. The Income/ Wealth Test prescribes that the sons and daughters of persons having gross annual income of Rs.2.5 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed

22/11/14
S. S. S.

in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years would be treated to fall in creamy layer. An explanation is given below the Income/Wealth Test which provides that 'income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.'

4. Following questions have been raised from time to time about the application of the above provisions to determine creamy layer:

- (i) Will the sons and daughters of parents either of whom or both of whom are directly recruited Class I/Group A officer(s) and such parent(s) dies/die or suffers/suffer permanent incapacitation after retirement be treated to be excluded from the creamy layer?
- (ii) Will the sons and daughters of parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and one of them dies or suffer permanent incapacitation after retirement be treated to be excluded from the creamy layer?
- (iii) Will the sons and daughters of parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and both of them die or suffer permanent incapacitation after retirement even though either of them has had got the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation be treated to be excluded from the purview of creamy layer?
- (iv) Will the sons and daughters of parent(s) who retire from the service on the basis of which their sons and daughters fall in creamy layer, continue to fall in creamy layer after retirement of the parent(s)?
- (v) Will the sons and daughters of parents of whom husband is directly recruited Class III/Group C or Class IV/Group D employee and he gets into Class I/Group A at the age of 40 or earlier be treated to be falling in creamy layer?
- (vi) Will a candidate who himself is a directly recruited Class I/Group A officer or a directly recruited Class II/Group B officer who got into Class I/Group A at the age of 40 or earlier be treated to be falling in creamy layer on the basis of his service status?
- (vii) Will a candidate who has gross annual income of Rs.2.5 lakh or above or possesses wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years be treated to fall in creamy layer?

(viii) The instructions provide that a lady belonging to OBC category who has got married to a directly recruited Class I/Group A officer shall not be treated as falling in creamy layer on the basis of her marriage. Will a man belonging to OBC category who is married to a directly recruited Class I/Group 'A' officer be treated as falling in creamy layer on the basis of his marriage?

(ix) How will be the Income/Wealth Test apply in case of sons and daughters of parent(s) employed in PSUs etc. in which equivalence or comparability of posts has not been established vis-à-vis posts in the Government?

(x) What is the scope of the explanation, 'Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed', given below the Income/Wealth Test?

5. It is clarified in regard to clauses (i), (ii) and (iii) of para 4 that the sons and daughters of:

(a) parents either of whom or both of whom are directly recruited Class I/Group A officers and such parent(s) dies/die or suffers/suffer permanent incapacitation while in service;

(b) parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation while in service; and

(c) parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and both of them die or suffer permanent incapacitation while in service, even though either of them has had the benefit of employment in any International Organization like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation

are not treated to be falling in creamy layer. But if the parent(s) dies/die or suffers/suffer permanent incapacitation in such cases after retirement from service, his/their sons and daughters would be treated to be falling in creamy layer and would not get the benefit of reservation.

6. In regard to clause (iv) of para 4, it is clarified that sons and daughters of parents who are included in the creamy layer on the basis of service status of their parents shall continue to be treated in creamy layer even if their parents have retired or have died after retirement.

223/244
293/244

7. In regard to clause (v) of para 4, it is clarified that the sons and daughters of parents of whom only the husband is a directly recruited Class II/Group B officer who gets into Class I/Group A at the age of 40 or earlier are treated to be in creamy layer. If the father is directly recruited Class III/Group C or Class IV/Group D employee and he gets into Class I/Group A at the age of 40 or earlier, his sons and daughters shall not be treated to be falling in creamy layer.

8. In regard to clauses (vi), (vii) and (viii) of para 4, it is clarified that the creamy layer status of a candidate is determined on the basis of the status of his parents and not on the basis of his own status or income or on the basis of status or income of his/her spouse. Therefore, while determining the creamy layer status of a person the status or the income of the candidate himself or of his/her spouse shall not be taken into account.

9. In regard to clause (ix) of para 4, it is clarified that the creamy layer status of sons and daughters of persons employed in organizations where equivalence or comparability of posts vis-à-vis posts in Government has not been evaluated is determined as follows:

Income of the parents from the salaries and from the other sources [other than salaries and agricultural land] is determined separately. If either the income of the parents from the salaries or the income of the parents from other sources [other than salaries and agricultural land] exceeds the limit of Rs.2.5 lakh per annum for a period of three consecutive years, the sons and daughters of such persons shall be treated to fall in creamy layer. But the sons and daughters of parents whose income from salaries is less than Rs. 2.5 lakh per annum and income from other sources is also less than Rs.2.5 lakh per annum will not be treated as falling in creamy layer even if the sum of the income from salaries and the income from the other sources is more than Rs.2.5 lakh per annum for a period of three consecutive years. It may be noted that income from agricultural land is not taken into account while applying the Test.

10. In regard to clause (x) of para 4, it is clarified that while applying the Income/Wealth Test to determine creamy layer status of any candidate as given in Category-VI of the Schedule to the OM, income from the salaries and income from the agricultural land shall not be taken into account. It means that if income from salaries of the parents of any candidate is more than Rs. 2.5 lakh per annum, income from agricultural land is more than Rs. 2.5 lakh per annum, but income from other sources is less than Rs. 2.5 lakh per annum, the candidate shall not be treated to be falling in creamy layer on the basis of Income/Wealth Test provided his parent(s)

-6-

do not possess wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years.

11, You are requested to bring the contents of this letter to all concerned in the State.

Yours faithfully,



(K.G. Verma)

Deputy Secretary to the Govt. of India

Copy to:-

1. All Ministries / Departments of Govt. of India
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi
3. Department of Economic Affairs (Insurances Division), New Delhi
4. Department of Public Enterprises, New Delhi,
5. Railway Board,
6. Union Public Service Commission / Supreme Court of India / Election Commission / Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat / Cabinet Secretariat / Central Vigilance Commission / President's Secretariat / Prime Minister's Office / Planning Commission/ National Commission for Backward Classes.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
8. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

With the request to bring the contents of this letter to the notice of all concerned.

21/11/2004
89/4/44

संख्या 36033/5/2004 - स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक 14 अक्टूबर, 2004

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषय:- अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्ग के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

मुझे इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-(एस.सी.टी.) की अनुसूची, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने संबंधी मानदंड विहित हैं, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों के बच्चों के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि ऐसे पुत्र तथा पुत्री/पुत्रियाँ:-

- (क) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हैं;
- (ख) जिनके माता-पिता में से कोई एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी है;
- (ग) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हैं, किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए;
- (घ) जिनके माता-पिता में से एक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;
- (ङ) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हैं और जिनकी मृत्यु हो जाए अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;
- (च) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'ख' अधिकारी हैं;

.....2/-

- (छ) जिनके माता-पिता में से एक केवल पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी है और वह 40 वर्ष अथवा इससे पूर्व की आयु में श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी बन जाए;
- (ज) जिनके माता-पिता, दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो;
- (झ) जिनके माता-पिता में से केवल पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पत्नी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए; तथा
- () जिनके माता-पिता में से पत्नी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी हो तथा पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए

तो उन्हें सम्पन्न वर्ग में शामिल समझा जाएगा ।

2. अनुसूची में आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ:-

- (i) जिनके माता-पिता में से कोई एक या दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हों और यथा नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु हो जाए अथवा वह (वे) स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ;
- (ii) जिनके माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए;
- (iii) जिनके माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-11/समूह 'ख' अधिकारी हों और दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा दोनों ही स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाएँ, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की प्रसुविधा प्राप्त की हो -

सम्पन्न वर्ग में सम्मिलित नहीं समझे जाएँगे ।

3. सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के पुत्रों और पुत्रियों के सम्पन्न वर्ग के दर्जे के निर्धारण के लिए तय किए गए मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर सरकारी नियुक्ति के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होते हैं। ऐसे संगठनों जहाँ पदों का मूल्यांकन समकक्ष अथवा तुलनीय आधार पर नहीं किया गया है, के कर्मचारियों के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण अनुसूची में दिए गए आय/सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर किया जाता है। आय/सम्पत्ति परीक्षण में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए अथवा इससे अधिक है अथवा जिनकी सम्पत्ति, सम्पत्ति कर अधिनियम में निर्धारित छूट सीमा से लगातार तीन वर्ष तक अधिक रहती है तो उनके पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग में शामिल समझे जाएँगे। आय/सम्पत्ति कर परीक्षण के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि वेतन से हुई आय अथवा कृषि से हुई आय को जोड़ा नहीं जाएगा।

4. सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए हैं :

- (i) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी I/समूह 'क' अधिकारी हों और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनमें से एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ ?
- (ii) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी हों और उनमें से एक की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए ?
- (iii) क्या उन माता-पिता के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जाएगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी हों और सेवानिवृत्ति के पश्चात दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएँ यद्यपि दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ?
- (iv) ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जो अपने माता-पिता के सेवारत रहने के दौरान उनकी सेवा श्रेणी के कारण सम्पन्न वर्ग में आते थे, क्या अपने माता-पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सम्पन्न वर्ग में बने रहेंगे ?

- (v) क्या ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत माने जाएँगे, जिनमें पति, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-III/समूह 'ग' अथवा श्रेणी IV/समूह 'घ' कर्मचारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या इससे पूर्व वह श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो ?
- (vi) क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी II/समूह 'ख' अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पहले श्रेणी I/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो, अपनी सेवा के स्तर के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा ?
- (vii) क्या कोई ऐसा उम्मीदवार सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा जिसकी सकल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपए अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्षों से सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपदा रखता रहा हो ?
- (viii) अनुदेशों में यह प्रावधान है कि अन्य पिछड़े वर्ग की किसी महिला को, जिसका विवाह, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी के साथ हुआ है, विवाह के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा । अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ऐसा पुरुष जिसका विवाह, सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी महिला के साथ हुआ हो, क्या अपने विवाह के आधार पर सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जाएगा ?
- (ix) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों आदि में कार्यरत माता-पिता के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में आय/सम्पत्ति परीक्षण किस प्रकार लागू होगा, जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के पदों के साथ स्थापित नहीं है ?
- (x) आय/सम्पत्ति परीक्षण (संबंधी प्रावधान) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण "वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को मिलाया नहीं जाएगा " की व्याप्ति किस सीमा तक है ?

5. उपर्युक्त पैरा 4 के खंड (i), (ii), (iii) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ जिनके :-

- (क) माता-पिता में से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी हैं और ऐसे नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह (वे) स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ;
- (ख) माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और उनमें से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाए; और
- (ग) माता-पिता जो दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और दोनों की ही सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ, भले ही उनकी ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो -

सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते । किन्तु यदि ऐसे मामलों में मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत माने जाएँगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

6. पैरा 4 के खंड (iv) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जिन्हें अपने माता-पिता के सेवा स्तर के आधार पर सम्पन्न वर्ग में शामिल माना गया है, सम्पन्न वर्ग में शामिल माने जाते रहेंगे, चाहे उनके माता-पिता सेवानिवृत्त हो गए हों अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मृत्यु हो गई हो ।

7. पैरा 4 के खंड (v) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पुत्र और पुत्रियाँ, जिनके माता-पिता में से केवल पति सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-III/समूह 'ख' अधिकारी है और जो 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पूर्व श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन जाए, सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जाएँगे । यदि पिता सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-III/समूह 'ग' अथवा श्रेणी-IV/समूह 'घ' कर्मचारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा उससे पूर्व श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन जाए तो उसके पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माने जाएँगे ।

8. पैरा 4 के खंड (vi), (vii) और (viii) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता-पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय के आधार पर । अतः, किसी व्यक्ति के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवार की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

9. पैरा 4 के खंड (ix) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों जो किसी ऐसे संगठन में कार्यरत हैं जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के अंतर्गत पदों के साथ मूल्यांकित नहीं की गई है, के पुत्र और पुत्रियों के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण नीचे दिए गए अनुसार किया जाता है:-


माता-पिता की, वेतन तथा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय का पृथक रूप से निर्धारण किया जाए । यदि माता-पिता की वेतन से होने वाली आय अथवा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय में से कोई भी लगातार तीन वर्षों तक 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक रहती हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जाएँगे । किन्तु ऐसे माता-पिता जिनकी वेतन से होने वाली आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है और अन्य स्रोतों से होने वाली आय भी 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, के पुत्र और पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं

माना जाएगा, चाहे उनके वेतन से होने वाली आय तथा अन्य स्रोतों से होने वाली आय का योग लगातार तीन वर्षों से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक ही क्यों न हो। यह भी ध्यान रखा जाए कि कृषि भूमि से होने वाली आय को यह परीक्षण लागू करते समय नहीं गिना जाएगा।

10. पैरा 4 के खंड (X) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI में दिए गए अनुसार किसी उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिए आय/सम्पत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता के वेतन से होने वाली आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो, कृषि भूमि से होने वाली आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो किन्तु अन्य स्रोतों से होने वाली आय 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम हो तो आय/सम्पत्ति परीक्षण के आधार पर उम्मीदवार को सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा बशर्ते कि उसके माता-पिता (दोनों) के पास लगातार तीन वर्षों की अवधि से सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक धन न रहा हो।

11. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु राज्य के सभी संबंधित व्यक्तियों/कार्यालयों के ध्यान में ला दें।

भवदीय,



(के. जी. वर्मा)

भारत सरकार के उप सचिव

प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस पत्र की विषय वस्तु सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में ला दें।

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग) नई दिल्ली।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
5. रेलवे बोर्ड।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का सर्वोच्च न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।